Forest Department
Uttarakhand

E-TENDER DOCUMENT
FOR

चकराता वन प्रभाग के अन्तर्गत त्यूनी मोटर रोड लीसा डिपो में वानिकी कार्य लीसा फसल वर्ष–2024 के लिए खाली टिनों की आपूर्ति करना

In

Garhwal Mandal

Uttarakhand

Conservator of Forest

Bhagirathi Circle,

Munikireti

निविदा सम्बन्धी विवरण

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा (सं0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	धरोहर राशि	निविदा मूल्य	ऋषिकेश लीसा डिपो से दूरी (लगभग)
चकराता वन प्रभाग के अन्तर्गत त्यूनी मोटर रोड लीसा डिपो में वानिकी कार्य लीसा फसल वर्ष–2024 के लिए खाली टिनों हेतु आपूर्ति करना।	2600	50 दिन	5745	500+18 % GST	250 कि0मी0

-: Key Dates :-

S.No.	Activity	Date	Time
1	Date of online publication	16.01.2024	01:00 PM
2	Bid document download start date	16.01.2024	02:00 PM
3	Bid submission start date	16.01.2024	02:00 PM
4	Bid submission end date	29.01.2024	05:00 PM
5	Bid opening date	30.01.2024	12:00 PM

कार्य का विवरण

गढवाल मण्डल के चकराता वन प्रभाग के अन्तर्गत त्यूनी मोटर रोड लीसा डिपो में वानिकी कार्य लीसा फसल वर्ष–2024 के लिए खाली टिन क्रय की ई–निविदा सम्बन्धी प्रस्ताव का दस्तावेज।

(Bidding Document for E-Tender enquiry for procurement for empty tins for resin harvest year 2024 in Bhenswada Leesa depot)

निविदादाताओं हेतु निर्देश

गढवाल मण्डल के चकराता वन प्रभाग के अन्तर्गत त्यूनी मोटर रोड लीसा डिपो में वानिकी कार्य लीसा फसल वर्ष 2024 में उपयोग हेतु धुले एवं साफ खाली टिनों के क्रय/आपूर्ति के लिए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट नियमावली 2017 यथा संशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत निम्न शर्तों के अधीन ई–निविदा आमंत्रित की जाती है :–

1–चकराता वन प्रभाग के अन्तर्गत त्यूनी मोटर रोड़ लीसा डिपो हेतु खाली टिनों के आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र मूल्य रू0 500/ (पाँच सौ) + 18% GST (रू0 90/–) मात्र का भुगतान के पृथक–पृथक बैंक ड्राफ्ट जो कि **''प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड''** के पक्ष में तैयार कर तकनीकी बिड के साथ Upload किया जाना अनिवार्य है।

2– निविदा प्रपत्र वेबसाईट से डाउनलोड किये जाने पर निविदा प्रपत्र के मूल्य से सम्बन्धित बैंक ड्राफ्ट भारतीय डाक एवं तार विभाग के रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट के माध्यम से वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती कार्यालय में निर्धारित तिथि तक प्रेषित किया जाना अनिवार्य है अथवा प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

3– धरोहर राशि एवं निविदा प्रपत्र का मूल्य मात्र बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो **''प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड''** के नाम जारी किया गया हो तथा Payble at State Bank of India Rishikesh हो में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्य किसी रूप में नहीं।

4– उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) नियमावली 2017 में निर्दिष्ट दो निविदाओं वाली प्रणाली के अनुसार **तकनीकी निविदायें एवं वित्तीय निविदायें** अलग–अलग लिफाफों में मोहरबन्द कर निम्नानुसार जमा करनी होगी–

4.1 एक लिफाफे के ऊपर ''तकनीकी निविदा'' और दूसरे लिफाफे के ऊपर ''वित्तीय निविदा'' लिखना अनिवार्य होगा एंव उसी के अनुसार सम्बन्धित अभिलेख सम्बन्धित लिफाफो मे रखते हुये बन्द करने होंगे।

4.2 उपरोक्त दोनो लिफाफो को एक बडे लिफाफे मे, जिसके ऊपर कि बाहर से बडे अक्षरों में **''त्यूनी डिपो में खाली टिन आपूर्ति हेतु निविदा''** लिखा हो, के अन्दर बन्द करने के उपरान्त केवल पंजीकृत/स्पीड पोस्ट अथवा कोरियर द्वारा **कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड़ मुनिकीरेती टिहरी गढवाल–249137** को निर्धारित तिथि व समय के अर्न्तगत प्रेषित की जायेगी, अन्य किसी माध्यम से भेजी गयी निविदायें स्वीकार नहीं की जायेंगी।

आपूर्ति किये जाने वाले खाली टिनों की विशिष्टियाँ

क्रय की जाने वाली सामग्री का नाम	सामग्री की विशिष्टता एवं मानक
खाने का तेल या घी के खाली टिन	1. **खाली टिन का माप :–** 320 ×228×228 millimetre 2. **टिन के पूर्व उपयोग की स्थिति :–** टिन पूर्व में केवल एक बार उपयोग किया गया हो। 3. **टिन के ऊपरी भाग की स्थिति की विशिष्टता :–** **3.1** खाली टिन के ऊपरी भाग पर 05 सेमी0 व्यास का एक छेद हो जिसके चारों तरफ दुबारा सील लगाने के निशान न हो। **3.2** टिन को उठाने के लिए कुण्डा/हैण्डिल लगा हो। 4. **टिन से लीकेज नहीं होने की विशिष्टता :–** खाली टिन में ऊपरी भाग पर एक छेद को छोड़कर अन्य कोई छेद या लीकेज नहीं होनी चाहिए। 5. **टिन पर एनोडायजिंग/पालिश की स्थिति :–** टिन में जंक नहीं लगा होना चाहिए। 6. **टिन में लीसा भर लेने की क्षमता :–** टिन पिचका हुआ नहीं हो। 7. **टिन की अंदरूनी एवं बाहरी सतह की सफाई की स्थिति :–** संबंधित वन प्रभाग/डिपो की संतुष्टि के अनुरूप तथा अन्दर व बाहर से भली प्रकार साफ किया गया हो। 8. **टिन के बाहर साईड के एक फलक पर निम्न विवरण स्थायी रूप से स्टेंसिल से अंकित किया जायेगा।** **1.** लीसा फसल वर्ष 2024 **2.** प्रभाग का नाम **3.** रेंज का नाम **4.** डिपो का नाम **5.** कूप संख्या **नोट** – बिन्दु सं0–8 में सूचित स्टेंसिल से डिपो का नाम व कूप संख्या के अतिरिक्त शेष सम्पूर्ण विवरण भी आपूर्तिकर्ता द्वारा अंकित किये जाने हैं। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि आपूर्ति आदेश जारी करते समय प्रत्येक पैकेज/डिपो के सम्बन्ध में स्पष्ट विवरण आपूर्तिकर्ता को सूचित किया जाय।

1. ई–निविदा में तकनीकी बिड के साथ अपलोड किये जाने वाले अभिलेख/दस्तावेज का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रम सं0	अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज	क्रम सं0	अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज
1	1. निविदा शुल्क – **रू0 500/–** का डिमांड बैंक ड्रॉफ्ट **2.** जी0एस0टी0 – **रू0 90/–** का डिमांड बैंक ड्रॉफ्ट नोट– उपरोक्त डिमांड ड्राफ्ट अलग–अलग बनाये जायेंगे।	7	पॉवर ऑफ अटार्नी (यदि लागू हो)
2	धरोहर धनराशि **(EMD) (रू0 5745/–)**	8	आधार कार्ड की प्रति
3	वित्तीय हैसियत प्रमाण पत्र (निर्दिष्ट संविदा मूल्य के अनुरूप वित्तीय हैसियत प्रमाण पत्र) एवं कार्यपूर्ण होने तक हैसियत प्रमाण पत्र में वर्णित सम्पति आदि को न बेचेगा और न गिरवी रखेगा का शपथ पत्र (10 रू0 के स्टाम्प में नोटराईज्ड किया हुआ)	9	पैन कार्ड की प्रति
4	निविदा की वैधता हेतु अन्डरटेकिंग, जो रू0 100.00 मात्र का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर रू0 1.00 के रैवेन्यू स्टाम्प पर निविदादाता के हस्ताक्षर सहित 60 दिन वैधता इंगित करते हुए प्रमाण पत्र।	10	जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र

5	उद्योग विभाग का पंजीकरण प्रमाण पत्र (MSME संबंधी)	11	निविदादाता को इस आशय का नोटराइज्ड शपथ पत्र कि ''केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा निविदा प्रक्रिया में ब्लैक लिस्ट न किया गया हो'' रू0 10/- के स्टाम्प पेपर पर देना होगा।
6	पार्टनरशिप डीड (यदि लागू हो)	12	**निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण ई-निविदा दस्तावेज प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हुए तथा अन्डरटेकिंग फार्म हस्ताक्षरित अपलोड किया जाना अनिवार्य है।**
13	तकनीकी बिड फार्म प्रोफार्मा हस्ताक्षरित (संलग्न प्रपत्रानुसार)	14	विगत तीन वर्षो का आयकर विवरण (वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23)
15	निविदादाता की फर्म का टर्न ओवर रू0 19.00 लाख का होना चाहिए जिसका प्रमाण पत्र सी0ए0 द्वारा जारी किया गया हुआ हो।		
नोट :- तकनीकी बिड मे योग्य (क्वालीफाईड) निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड (फाइनेन्सियल बिड) खोली जायेगी।			

2. निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि यदि चाहें तो निविदायें खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं।
3. सशर्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
4. **यदि किसी निविदादाता द्वारा एक से अधिक निविदा में प्रतिभाग किया जाता है तो उनके द्वारा समस्त निविदाओं हेतु वांछित धरोहर धनराशि के एक ही एफ0डी0आर0 अथवा डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार्य नहीं होंगे। अर्थात प्रत्येक निविदा हेतु धरोहर धनराशि के पृथक-पृथक एफ0डी0आर0 अथवा डिमांड ड्राफ्ट जमा की जायेगी।**

नोट- निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा में संलग्न सामग्री के विवरण (Specification) का भली-भांति अवलोकन कर विस्तृत आंकलन प्रस्ताव के रूप मे तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करेंगे।

वित्तीय निविदा के साथ अपलोड किये जाने वाले दस्ताबेज

1. ऑनलाइन निर्धारित प्रारूप **BOQ (Bill of quantity)** पर निविदा धनराशि (वित्तीय बिड) का विवरण **MS EXCEL SHEET** में अंको एवं शब्दों में अंकित करना अनिवार्य होगा।
2. **यदि वित्तीय बिड से सम्बन्धित कोई दस्तावेज तकनीकी बिड के साथ अपलोड किया जाता है तो ऐसी स्थिति मे निविदा को निरस्त माना जायेगा।**
3. निविदा मे स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि निविदादाता/फर्म के द्वारा सामग्री का मूल्य मय ढुलान प्रति खाली टिन/प्रति रूपये है।
4. खाली टिनों की दरें सम्बन्धित क्षेत्र तक ढुलान मय लोडिंग-अनलोडिंग सहित किया जायेगा।
5. निविदा संबंधी अण्डरटेकिंग प्रफोर्मा हस्ताक्षरित कर वित्तीय बिड के साथ अपलोड किया जाना आवश्यक होगा। (संलग्न प्रपत्रानुसार)

अनुबन्ध की शर्तें एवं प्रतिबन्ध

1. सफल निविदादाताओं के द्वारा ठेके के कागजात हस्ताक्षर होने के उपरान्त ही सफल निविदाताओं की प्रतिभूति लौटाये जाने पर विचार किया जायेगा।
2. जी0एस0टी0 एवं आयकर विभाग में पंजीकृत निविदादाता ही निविदा डालने हेतु पात्र होंगे।
3. निविदा प्रपत्र के साथ पिछले तीन वर्षो का आयकर विवरण एवं निविदादाता को निविदा फार्म में जी0एस0टी0 नम्बर तथा प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. **यदि किसी निविदादाता द्वारा एक से अधिक निविदा में प्रतिभाग किया जाता है तो उनके द्वारा समस्त निविदाओं हेतु वांछित धरोहर धनराशि के एक ही एफ0डी0आर0 अथवा डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार्य नहीं होंगे। अर्थात प्रत्येक निविदा हेतु धरोहर धनराशि के पृथक–पृथक एफ0डी0आर0 अथवा डिमांड ड्राफ्ट जमा की जायेगी।**
5. निविदादाता की फर्म का टर्न ओवर रु0 19.00 लाख से अधिक होना चाहिए।
6. उक्त लीसा डिपो हेतु खाली टिनों की आपूर्ति की दरें प्रति टिन की दर से समस्त देयकरों को सम्मिलित करते हुए **एफ0ओ0आर0 डेस्टिनेशन** दी जाय। आपूर्ति के विरूद्ध नियमानुसार देय समस्त कर निविदादाता द्वारा ही दिये जाने हैं। अतः वे भली–भांति समस्त देयकरों की जानकारी प्राप्त कर तद्नुसार समस्त करों को सम्मिलित करते हुए अपनी दरें देवें। आपूर्ति एवं भुगतान के पश्चात् भी यदि किसी अदेय कर की जानकारी विभाग को होती हैं तो इस अदेयकर के भुगतान की जिम्मेदारी भी निविदादाता की होगी।
7. आपूर्ति आदेश जारी होने के 20 दिनों के भीतर 50% व अगले 30 दिनों के भीतर 50% सम्बन्धित स्थलों/डिपो में सामग्री आपूर्ति की जानी आवश्यक होगी।
8. सामग्री की मांग/आपूर्ति में वृद्घि एवं कमी हो सकती है। सामग्री की वास्तविक मात्रा कार्यादेश में दर्ज मात्रा से घट व बढ सकती है।
9. ई–निविदा मे प्रतिभाग करने पर वेबसाइट मे तकनीकी खराबी आदि से होने वाली कठिनाई हेतु विभाग जिम्मेदार नही होगा। यदि निर्धारित तिथि को सर्वर/इन्टरनेट कनेक्सन मे खराबी एवं सार्वजनिक अवकाश घोषित होने के कारण निविदा नहीं खोली जाती है तो निविदा अगले कार्यदिवस मे खोली जायेगी।
10. निविदादाता अथवा निविदादाताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों को निविदा खोलते समय उपस्थित होने की अनुमति दी जायेगी।
11. दो या दो से अधिक निविदादाताओं से समान धनराशि (H_1) के वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त होने पर निविदा समिति द्वारा खुली बोली/लॉटरी (पर्ची) के माध्यम से सफल निविदादाता का चुनाव किया जायेगा, जो सभी पक्षों को मान्य होगा।
12. निविदा प्रपत्र जमा करने से पूर्व निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा के क्रम में सामग्री विवरण एवं उससे सम्बन्धित समस्त शर्तों/नियमों का भली–भांती अध्ययन कर लें। उक्त शर्तो का किसी भी कार्यदिवस पर वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती मे अवलोकन किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र जमा करने के उपरान्त निविदा शर्तो की जानकारी न होने विषयक कोई भी तर्क स्वीकार नही किया जायेगा।
13. निविदादाता, सम्बन्धित निविदा की दरें उस समय सरकार द्वारा निर्धारित समस्त करों यथा– जी0एस0टी0 आदि सहित ही दी जायेगी। निविदादाता निविदा प्रपत्र के उपर्युक्त कॉलम मे निविदा की धनराशि जो कि सामग्री के आईटम की अनुसूची मे वर्णित हो, सूचित करेंगे।
14. यदि किसी निविदादाता द्वारा अंको व शब्दों मे पृथक–पृथक धनराशि स्वीकृत की जाती है तो ऐसी स्थिति मे दोनो मे से जो न्यून हो, वह दर निविदादाता पर लागू समझी जायेगी।
15. निविदा प्रपत्र की कीमत किसी भी प्रकार से न तो वापस की जायेगी और न ही किसी दूसरी निविदा प्रपत्र के विरूद्ध समायोजित की जायेगी एवं सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

16. **किसी निविदा प्रपत्र में किये गये संशोधनों को निविदादाता द्वारा अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करना आवश्यक होगा।** निविदादाता को निविदा में अपना पूरा नाम, पता, पिता का नाम, दूरभाष संख्या आदि अंकित करना अनिवार्य होगा। भविष्य में दिये गये पते पर पोस्टल डाक द्वारा प्रेषित पत्र प्राप्त न होने पर यह कार्यालय उत्तरादायी नहीं होगा।
17. निविदा एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर मान्य नहीं होगी।
18. कार्यादेश किसी अन्य ठेकेदार/पार्टी/संस्था के नाम पर स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।
19. फर्म द्वारा दी गई निविदा में दी गई न्यूनतम दरें कम से कम 90 दिन के लिए मान्य होगी। अधोहस्ताक्षरी को यह भी अधिकार होगा कि उक्त अवधि में निविदादाता को अनुबन्ध के लिए किसी भी समय कार्यालय में उपस्थित होने के लिए निर्देशित कर सके।
20. प्रत्येक स्वीकृत निविदा हेतु निविदादाता को निविदा में अंकित पते पर निविदा स्वीकृत की सूचना कार्यादेश के रूप में प्रेषित की जायेगी। ऐसे पत्र में निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर निविदादाता को रू0 100 के नाम ज्यूडिसिएल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र (एग्रीमेंट) निष्पादित करना होगा तथा ऐसा न करने पर उसके निविदा की स्वीकृति को समाप्त समझा जायेगा व जमा निविदा प्रतिभूति को वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में अपहृत कर लिया जायेगा।
21. सफल निविदादाता, जिसके पक्ष मे निविदा दी गई हो, को अनुबन्ध हस्ताक्षरित करते समय निर्धारित कार्यपूर्ति प्रतिभूति संविदा के मूल्य की 5% से 10% तक की धनराशि, जो कि सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के नाम बन्धक होगी, जैसा स्वीकृर्ता अधिकारी को उचित लगे, वाणिज्यिक बैंक से निर्गत आदाता के नाम (एकाउन्ट पेई) डिमान्ड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद या बैंक गारन्टी आदि के रूप में जमा करनी होगी।
22. समय से अनुबन्ध हस्ताक्षरित न करने अथवा बन्धक धनराशि जमा न करने पर निविदा निरस्त समझी जायेगी जिसकी सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त को भी उचित माध्यम से उपलब्ध करानी होगी। वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त को अधिकार होगा कि वह निविदा प्रतिभूति अथवा बन्धक धनराशि को जब्त कर लें। साथ ही वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त कार्य को दूसरे निविदादाता को आवंटित कर सकेगें (जिनके द्वारा अगली निम्न निविदा दी गयी है) तथा इसके अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति मूल निविदादाता से की जायेगी। सरकार को इस प्रकार होने वाली क्षति को भू–राजस्व के रूप में वसूली की जा सकेगी।
23. कार्यपूर्ति धरोहर निविदादाताओं के निविदा से सम्बन्धित सभी दायित्वों को, जिनमे वारन्टी सम्बन्धी दायित्व सम्मिलित हैं, कार्य पूर्ण करने की अवधि से 90 दिन बाद तक वैध होना आवश्यक है।
24. सफल निविदादाता द्वारा कार्यपूर्ति धरोहर प्रस्तुत करने के बाद उसकी निविदा प्रतिभूति वापिस कर दी जायेगी।
25. असफल निविदादाताओं की निविदा प्रतिभूति उसकी अन्तिम वैधता अवधि की समाप्ति पर यथाशीघ्र, परन्तु सम्बन्धित विभाग/प्राधिकारी द्वारा संविदा करने के उपरान्त 30 दिन के अर्न्तगत ही सम्बन्धित निविदादाताओं को लौटा दी जायेगी।
26. निविदा देने के उपरान्त कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
27. निविदादाता को अनुबन्ध किये जाने के पश्चात् कार्यादेश प्राप्त होते ही कार्य प्रारम्भ करना होगा। कार्य का अनुमान व पूर्ण जानकारी वन संरक्षक,भागीरथी वृत्त कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।
28. यदि व्यय अनुमान के अतिरिक्त कोई भी कार्य बिना सक्षम अधिकारी की लिखित स्वीकृति के किया गया तो उसका भुगतान करने के लिए विभाग बाध्य नहीं होगा।
29. कार्यादेश में दी गयी अवधि में आपूर्ति पूर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रतिदिन विलम्ब के लिए विलम्ब शुल्क निर्धारित करने का अधिकार वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के पास सुरक्षित होगा।
30. सामग्री का भुगतान सक्षम अधिकारी के निरीक्षण के पश्चात संतोषजनक होने पर ही किया जायेगा।

31. सामग्री का निरीक्षण, क्षेत्रीय वन रक्षक/वन दरोगा/वन क्षेत्राधिकारी से लेकर उच्चाधिकारी तक कर सकते हैं। सामग्री की गुणवत्ता संतोषजनक न होने पर फर्म को स्वयं के व्यय पर पुनः आपूर्ति करना होगा अन्यथा उसका अनुबन्ध निरस्त कर जमानत की धनराशि जब्त/अपहृत कर ली जायेगी, साथ ही फर्म को ब्लेक–लिस्टेड भी किया जा सकता है।
32. फर्म का उत्तरदायित्व होगा कि वह आपूर्ति करने हेतु ऐसे श्रमिकों की सेवा लेंगें जो किसी संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त न रहा हो, अन्यथा की स्थिति मे समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी।
33. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को भी यह अधिकार होगा कि सफल निविदादाता द्वारा निर्धारित सामग्री की मात्रा को कम या अधिक कर सकते हैं तथा यह निर्णय निविदादाता पर बाध्यकारी होगा।
34. अन्तिम भुगतान हो जाने के उपरान्त भी यदि कोई राजकीय बकाया वसूली अवशेष रह जाती है तो उसके भुगतान हेतु संबंधित फर्म बाध्य होगी।
35. फर्म को भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972, कॉन्ट्रेक्ट लेबर (Abolition) अधिनियम, 1970 तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्राविधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
36. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एंव यथा संशोधित के प्राविधानों का अनुपालन किया जाना होगा।
37. **यह ई–निविदा एवं ई–निविदा से सम्बन्धित कार्यादेश पूर्णतः बजट उपलब्धता/उच्च स्तर से टेण्डर अनुमोदन एवं वांछित स्वीकृतियों के अधीन होगी।**
38. विभागीय हित मे राजकीय कार्यो के सम्पादन हेतु अन्य यथोचित शर्तें, जो आवश्यक होगी वो सफल निविदादाता को मान्य होगी।
39. उक्त कार्य निर्धारित अवधि मे पूर्ण न करने पर अर्थदण्ड का प्राविधान होगा, जिसे कि सम्बन्धित फर्म द्वारा वहन किया जायेगा, जिस पर फर्म को कोई आपत्ति नही होगी।
40. टेण्डर/कार्य पर किसी भी विवाद की स्थिति मे वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा, तथा विवाद क्षेत्र जनपद टिहरी गढ़वाल होगा।
41. खाली टिनों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुसार होना चाहिए।
42. यदि कोई निविदादाता/फर्म शून्य (निल चार्जेज) शुल्क अंकित करता है, तो वह निविदा स्वीकार नही की जायेगी।
43. यदि निर्धारित तिथि तक अपरिहार्य कारणों से ई–निविदा पूर्ण रूप से नहीं खोली जाती है तो ई–निविदा अगले कार्यदिवस में खोली जायेगी।

(धर्म सिंह मीणा)
वन संरक्षक

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

पत्रांक – 1384 /10–6, दिनांक, मुनिकीरेती 15/01/2024 ।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल/कुमाऊँ उत्तराखण्ड।
4. मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0सेल उत्तराखण्ड, देहरादून को उक्त विज्ञप्ति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. समस्त सम्बन्धित वन संरक्षक, गढवाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, गढवाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. समिति के सदस्य।
8. कार्यालय नोटिस बोर्ड हेतु।

वन संरक्षक
भागीरथी वृत्त मुनिकीरेती।

Undertaking

Having read all the mentioned terms and conditions including Schedule of Work and Specification carefully and having agreed to them fully and unconditionally my financial bid is submitted as above.

Dated. Signature of the Firm/Supplier

Place:-

Appendix-II

Proforma for Technical Bid

1	**Bidder Details**	
a	Name of firm/ Supplier	
b	Address of the firm/Supplier	
c	Name of Proprietor/owner/Director	
d	Contact no. 1	
e	Contact no. 2	
f	Email	
g	Website, if any	
h	GST No.	
i	PAN No.	
j	Name of authorized signatory	
2	**EMD Details**	
a	Amount	
b	Issuing Bank	
c	No. of EMD	
d	Date of Issue	

नोट– उपरोक्त प्रपत्र ई–निविदा के साथ पूर्ण रूप से भरकर तकनीकी बिड के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

Seal and Signature
Authorized signatory of firm/supplier